| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज<br><br>चैनाराम बनाम लो.सू.अ.( अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर )<br><br>सू.अ.अ. अपील संख्या 267 / 2020 | नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 11.01.21 | अपीलार्थी चैनाराम पुत्र जगदीशराम जाट, पता जाटों का बास, ग्राम जवासीया पोस्ट रीयां सेठो की, तहसील पीपाड़शहर जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 07.09.20 में उसके द्वारा (1) भंवरलाल जांगीड़ पुत्र नारायणराम ग्राम जवासीया द्वारा प्रथम नियुक्ति के दौरान दिनांक 20.11.1990 को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर अस्थाई तौर पर नियुक्त हुए तथा उस दौरान कार्यालय में हिन्दी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद (हिन्दी विश्व विद्यालय ) से 1957 में प्रथमा परीक्षा उत्तीर्ण व सेकण्डरी स्कूल परीक्षा 1987 को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से दी जिसमें अनुतीर्ण रहे उक्त दोनों परीक्षाओं की अंक तालिका, स्थानान्तरण प्रमाण पत्र व अन्य बिन्दु, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी ( कार्यालय कलक्टर भू.अ. जोधपुर ) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा जरिये पत्रांक / सू.अ.अ. / प्रा.प. सं0 223 / 2020 / 1100 दिनांक 01.12.2020 सूचना दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।<br><br>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष ( अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर एवं प्रभारी अधिकारी, भू.अ. शाखा ) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी स्वयं उपस्थित।<br><br>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.( प्रभारी अधिकारी, भू.अ. शाखा कलक्टर जोधपुर ) से जरिये पत्रांक 114 दिनांक 06.01.21 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि प्रार्थी चेनाराम द्वारा वांछित सूचना के सन्दर्भ में दिनांक 30.12.2020 को कार्यालय में उपस्थित होने पर सूचना से संबंधित पत्रावली का अवलोकन करवाया जाकर उनके द्वारा चिन्हित की गई सूचनाओं को कार्यालय हाजा के पत्रांक 12408 दिनांक 31.12.2020 के द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित की गई।<br><br>अपीलार्थी ने आज प्रार्थना पत्र पेश कर जाहिर किया कि भंवरलाल पुत्र नारायणराम गांव जवासीया वर्तमान भू–अभिलेख निरीक्षक तहसील कार्यालय में पीपाड़शहर में कार्यरत है। उक्त कार्यालय इनके द्वारा जो दस्तावेज जिसमें इलाहाबाद (हिन्दी विश्वविद्यालय) से 1957 में प्रथम परीक्षा उत्तीर्ण की है जो अन्य दस्तावेज में प्रस्तुत किए है उसकी नकले लोक सूचना अधिकारी द्वारा नहीं देने पर हमने प्रथम अपील में भी संपूर्ण सूचना नहीं दी गई जिसमें विशेष इलाहाबाद (हिन्दी विश्वविद्यालय) सूचना कलक्टर (भू. अ.) कार्यालय जोधपुर के आदेश दिनांक 6.11.1990 की प्रति साफ नहीं है तथा आधी–अधुरी दी गई।<br><br>प्रभारी अधिकारी, भू–अभिलेख शाखा से प्राप्त रिपोर्ट ( अपील संख्या 263 / 2020 )के साथ संलग्न प्रमाणित प्रतियां अपीलार्थी को देने का आग्रह<br><br>लगातार... | |

किया गया, तब कहा कि ये सूचना मुझे मिल चुकी है परन्तु इलाहबाद (हिन्दी विश्वविद्यालय) से प्राप्त अंकतालिका की जो सूचना दी जा गई उसमें जन्म तारीख वाली सूचना नहीं दी जा रही है।

चूकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के बारे में प्रभारी अधिकारी, भू–अभिलेख शाखा से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार उसे सूचना दी जा चुकी है अतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से निरस्त की जाती है। आदेश सुनाया गया। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो।